आई.सी.ए.आर.– केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर – 440033

नीलामी सूचना संख्या 04/2024 / 727

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा ब्लाक नं. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 28, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 300, 304, 305, 117, 118, 121ए, 25 एवं 26 इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 07.10.2024 को सुबह 11.00 बजे की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा की खरीददारी हेतु कार्यालय समय में 10 बजे से 5 बजे तक नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों का निरीक्षण कर कीमत को दिनांक 07.10.2024 को पूर्ण रूप से भरकर रू. 30,000/-(तीस हजार) की सुरक्षा निधी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. [ICAR Unit CCRI Nagpur के नाम] आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करना होगा। जिसे अपरान्ह 11.30 बजे ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तो के आधार पर होगी।

कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रू. 30,000/- (रू. तीस हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर [ICAR Unit CCRI, Nagpur] के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोडकर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की पुरी रकम जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी ईएमडी भी जप्त कर ली जायेगी।
- पूरी राशि जमा करने पर ही उसे नीलाम किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को तोड़ने की अनुमती दी जायेंगी।
- नीलाम किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को ठेकेदार को 15/11/2024 तक अपने श्रमिकों से तोडना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नही देते तो वह नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को नहीं ले जा सकेंगा और इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

- फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- नागपुरी संतरा और किन्नों संतरों के पेड़ पर अनुसंधान हेतु 5 फल हर पेड़ पर छोड़ना होगा।
- नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के ब्लाकों में से फल तोड़ने से पहले जान ले की अनुसंधान हेतु लिये जाने वाले फल तोड़े गये है या नहीं।
- शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को तोडने नही दिया जाएगा और न ही उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती दी जायेगी और न ही किसी व्यक्ति या वाहन को अंदर आने की अनुमती दी जायेंगी।
- संस्थान के निदेशक महोद्य को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोद्य को शर्तो में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को ठेकेदार को हटाना होगा।
- प्रति फल (रू. 2/–) कि दर से 10,000 फल स्टॉफ के लिए खरीदे जाएगे।
- ब्लाक नं.44 से 400 फल अनुसंधान हेतु लिए जाएगे।
- **ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी/सहा. फार्म प्रभारी से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा ।**

आदित्य
24/01/2024

प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपीः

1. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एंव सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
2. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
3. श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. नागपुर।
4. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनिकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
6. कॅश ॲण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
7. नॅशनल प्रोटेक्टीव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंन्ट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
8. श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।